

नियमावली

1. संस्था का नाम : सतनामी कन्या विद्या **प्रज्ञा प्रगति** ।
2. संस्था का पूरा पता : जी०टी० रोड, ग्राम-रुकनपुर,
पञ्जाब-अरनियाँ-खुर्द
तहसील-खुर्द
जिला-धुलन्दशहर (ज०प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा ।
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार होंगे ।
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग:

5(क) ऐसे पुरुष एवं स्त्री जो भारत के नागरिक हों, आयु 18 वर्ष से कम न हो, नैतिक आचरण वाले हों, संस्था के उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए तन, मन, धन से सहयोग करने में तत्पर रहें, संस्था के नियमों-विनियमों में आस्था रखें तथा संस्था के हितों को प्रोत्साहित करें, उन्हें संस्था के सदस्य एवं पदासीन सतगुरु बाबा साहिब द्वारा ही संस्था का सदस्य बनाया जायेगा ।

5(ख) सदस्यों का वर्ग -

5(ख)-1 **संस्थाक सदस्य**-सतनामी साध-समाज गुरु-गद्दी पर पदासीन सतगुरु बाबा साहिब संस्था के आजीवन संस्थाक-सदस्य रहेंगे। इनको संस्थाक प्राप्ति तथा पदाधिकारण सभी समितियों व उप-समितियों में भी सदस्य रहेंगे। सतगुरु बाबा साहिब को अपने स्थान पर किसी एक व्यक्ति को नामित करने का अधिकार होगा ।

5(ख)-2 **संस्थाक सदस्य** - ऐसे पुरुष एवं स्त्री, जो उपर्युक्त 5 (क) की योग्यता रखते हों, एवं संस्था को एकमुस्त सदस्यता शुल्क के रूप में ₹० 5,00,000/- अथवा इससे अधिक देंगे संस्था के संस्थाक सदस्य होंगे ।

5(ख)-3 **अग्रतम-सदस्य (आजीवन)**- ऐसे पुरुष एवं स्त्री, जो उपर्युक्त 5 (क) की योग्यता रखते हों एवं संस्था को सदस्यताशुल्क के रूप में एकमुस्त ₹० 1,00,000/- अथवा इससे अधिक देंगे, वे इस संस्था के अग्रतम सदस्य होंगे ।

5(ख)-4 **आजीवन सदस्य**- ऐसे पुरुष एवं स्त्री, जो उपर्युक्त 5(क) की योग्यता रखते हों एवं संस्था को सदस्यता शुल्क के रूप में एकमुस्त ₹० 50,000/- अथवा इससे अधिक देंगे, वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे ।

5(ख)-5 **वृद्ध आजीवन सदस्य**- ऐसे पुरुष एवं स्त्री, जो उपर्युक्त 5 (क) की योग्यता रखते हों, एवं संस्था को सदस्यता शुल्क के रूप में एकमुस्त ₹० 30,000/- अथवा इससे अधिक देंगे, वे इस संस्था के वृद्ध आजीवन सदस्य होंगे। शर्त यह है कि ऐसे वृद्ध-जनों ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण करली हो । आयु प्रमाण देना जरूरी है ।

सि.दास
M
वि.सुन्दर
अ.सु.
के.सु.
Seyam
दे.सु.
रमा देवी
रि.सु.
सु.सु.
पानवा/श.सु.
S. S. S.

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अतिरिक्त
कार्यालय डिप्टी सचिव
पन्ना सांस्कृतिक तथा विद्या, मेरठ

02-2-17

- 5(ख)-6 साधारण-सदस्य :- ऐसे पुरुष एवं स्त्री, जो उपयुक्त 5(क) की योग्यता रखते हैं एवं संस्था को पांच वर्षों में साधारण-सदस्यता शुल्क के रूप में एकमुश्त रूप 10,000/- अथवा इससे अधिक देंगे, वे संस्था के साधारण-सदस्य होंगे। (पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व आगामी वर्षों के लिए सदस्यता शुल्क जमा करने पर सदस्यता लगातार बनी रहेगी)
- 5(ख)-7 मातृ संस्था-सदस्य:- मन्दिर की मातृ संस्था अपनी प्रबन्धकारिणी के सदस्यों में से दो सदस्य निर्वाचित कर इस संस्था के लिए नामित करेंगी, वे मातृ संस्था सदस्य होंगे।
- 5 (ग) 5 (ख)- 2 से 8 तक के अन्तर्गत नवीन सदस्यता निर्वाचित प्रबन्धकारिणी के पांच वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने से एक वर्ष पूर्व ही दी जावेगी। उस एक वर्ष की अवधि में सदस्यता नहीं दी जावेगी।
- 5 (घ) दिवत स्थान की पूर्ति उसी वर्ष से ही की जावेगी।

6 सदस्यता समाप्ति:-

प्रबन्धकारिणी समिति निम्नलिखित कारणों के अतिरिक्त किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं कर सकती।

- सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
- सदस्य का मानसिक सन्तुलन बिगड़ने पर।
- सदस्य के दिवालिया होने पर।
- संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना कारण बताये अनुपस्थित रहने पर।
- किसी न्यायालय से दंडित किये जाने पर।
- साधारण सदस्य द्वारा सदस्यता शुल्क समय पर अदा न करने पर।
- सदस्य के विरुद्ध प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से अविश्वास पारित होने पर।

7 संस्था के अंग:-

- संस्था के दो अंग हैं।
- साधारण सभा
- प्रबन्धकारिणी समिति

8 साधारण सभा:-

- गठन:- संस्था के साधारण सभा का गठन सभी प्रकार के सदस्यों की मिलाकर किया जायेगा। नियमावली की धारा 5 (ख) 1 से 7 तक की सभी श्रेणियों के सदस्य सम्मिलित हैं।
- बैठके:- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा विशेष बैठक किसी भी समय सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।
- सूचना अवधि - साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी। सूचना सदस्यों को किसी भी माध्यम से दी जा सकती है। प्रबन्धकारिणी समिति के निर्वाचन के लिए बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व दी जावेगी।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रशासक / अवर सचिव
जनकपुर विधी परिषद
धर्म सौकर्य सेवा विभाग, कैलाली

Om

02-2-12

सिद्धान्त मन्त्री
विजयकुमार
सुन्दर
अरवि
सुभाष
रमेश
RS
विश्वेश्वर, धर्म
दावकी एन
Seshan



(घ) गणपूर्ति:- गणपूर्ति के लिए साधारण सभा को कुल आठ सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा। कोरम के पुरा न होने पर स्थगित बैठक तीन दिन की मरिदिक सूचना पर बुलाई जायेगी और इस बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। स्थगित बैठक में विचारणीय विषय बदलते नहीं हैं।

(ङ) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

- प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विचारार्थ भेजे गए विधियों पर निर्णय लेना अथवा निर्देश देना।
- संस्था की उन्नति एवं विकास की योजनाओं पर विचार कर निर्णय करना।
- संस्था का आगामी वर्ष का बजट पर विचार करके पारित करना तथा विचारार्थीन वर्ष के आय-व्यय लेखा पर विचार करना तथा उसकी लेखा परीक्षा पर विचार करना एवं पारित करना।
- संस्था के नियमों-विनयनों में संशोधन, परिवर्तन 2/3 या इससे अधिक बहुमत से करना।
- संस्था की वार्षिक प्रगति-आख्या पारित करना। यह प्रगति आख्या मन्त्री/प्रबन्धक द्वारा तैयार करायी जायेगी।
- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का वर्ग/श्रेणी के आधार पर पाँच वर्ष में निर्वाचन कराना।

9 प्रबन्धकारिणी समिति :-

9(क) गठन एवं निर्वाचन:- प्रबन्धकारिणी समिति में प्रत्येक सदस्य वर्ग का प्रतिनिधित्व रहेगा और प्रत्येक वर्ग के सदस्य अपने-अपने वर्ग से निर्धारित संख्या में प्रबन्धकारिणी के लिए सदस्य निर्वाचित करेंगे। तदनुसार गठन इस प्रकार रहेगा। सदस्यता वर्गों 5 (ख)-1, (ख)-2, (ख)-3, (ख)-4, (ख)-5, (ख)-6 एवं (ख)-7, क्रमशः (पदेन) 1,3,2,1,1 एवं 2 (नामित) प्रबन्धकारिणी के ग्यारह सदस्य होंगे। पदेन-एक सदस्य व नामित-2 सदस्य होंगे। तीन सदस्यों के अतिरिक्त आठ सदस्य अपने-अपने संस्थानों से निर्वाचित होकर आयेंगे। प्रबन्धकारिणी के ये ग्यारह सदस्य अपने-अपने वर्गों से ही छह पदाधिकारियों-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्री/प्रबन्धक, सह-मन्त्री एवं प्रबन्धक के वित्त प्रबंधक एवं मन्त्री भवन निर्माण का निर्वाचन करेंगे। संस्था संभालन व्यवस्था में निदेशक अथवा प्राचार्य, सम्मानित शिक्षाविद्, शिक्षक (वरिष्ठता व वार्षिक क्रम में) तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारी क्रमशः 1, 2,3 एवं 1 (कुल सात) पदेन प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य होंगे। इस प्रकार प्रबन्धकारिणी समिति में न्यूनतम बारह तथा अधिकतम पदाधिकारियों व सदस्यों की संख्या उन्नीस होगी। निम्नलिखित तालिका में प्रबन्धकारिणी के बारह सदस्यों का वर्गानुसार संख्या प्रदत्त है:

विशाल शर्मा
 10/11/2017
 12/11/2017
 13/11/2017
 14/11/2017
 15/11/2017
 16/11/2017
 17/11/2017
 18/11/2017
 19/11/2017
 20/11/2017
 21/11/2017
 22/11/2017
 23/11/2017
 24/11/2017
 25/11/2017
 26/11/2017
 27/11/2017
 28/11/2017
 29/11/2017
 30/11/2017
 01/12/2017
 02/12/2017
 03/12/2017
 04/12/2017
 05/12/2017
 06/12/2017
 07/12/2017
 08/12/2017
 09/12/2017
 10/12/2017
 11/12/2017
 12/12/2017
 13/12/2017
 14/12/2017
 15/12/2017
 16/12/2017
 17/12/2017
 18/12/2017
 19/12/2017
 20/12/2017
 21/12/2017
 22/12/2017
 23/12/2017
 24/12/2017
 25/12/2017
 26/12/2017
 27/12/2017
 28/12/2017
 29/12/2017
 30/12/2017
 31/12/2017
 01/01/2018
 02/01/2018
 03/01/2018
 04/01/2018
 05/01/2018
 06/01/2018
 07/01/2018
 08/01/2018
 09/01/2018
 10/01/2018
 11/01/2018
 12/01/2018
 13/01/2018
 14/01/2018
 15/01/2018
 16/01/2018
 17/01/2018
 18/01/2018
 19/01/2018
 20/01/2018
 21/01/2018
 22/01/2018
 23/01/2018
 24/01/2018
 25/01/2018
 26/01/2018
 27/01/2018
 28/01/2018
 29/01/2018
 30/01/2018
 31/01/2018
 01/02/2018
 02/02/2018
 03/02/2018
 04/02/2018
 05/02/2018
 06/02/2018
 07/02/2018
 08/02/2018
 09/02/2018
 10/02/2018
 11/02/2018
 12/02/2018
 13/02/2018
 14/02/2018
 15/02/2018
 16/02/2018
 17/02/2018
 18/02/2018
 19/02/2018
 20/02/2018
 21/02/2018
 22/02/2018
 23/02/2018
 24/02/2018
 25/02/2018
 26/02/2018
 27/02/2018
 28/02/2018
 29/02/2018
 30/02/2018
 31/02/2018
 01/03/2018
 02/03/2018
 03/03/2018
 04/03/2018
 05/03/2018
 06/03/2018
 07/03/2018
 08/03/2018
 09/03/2018
 10/03/2018
 11/03/2018
 12/03/2018
 13/03/2018
 14/03/2018
 15/03/2018
 16/03/2018
 17/03/2018
 18/03/2018
 19/03/2018
 20/03/2018
 21/03/2018
 22/03/2018
 23/03/2018
 24/03/2018
 25/03/2018
 26/03/2018
 27/03/2018
 28/03/2018
 29/03/2018
 30/03/2018
 31/03/2018
 01/04/2018
 02/04/2018
 03/04/2018
 04/04/2018
 05/04/2018
 06/04/2018
 07/04/2018
 08/04/2018
 09/04/2018
 10/04/2018
 11/04/2018
 12/04/2018
 13/04/2018
 14/04/2018
 15/04/2018
 16/04/2018
 17/04/2018
 18/04/2018
 19/04/2018
 20/04/2018
 21/04/2018
 22/04/2018
 23/04/2018
 24/04/2018
 25/04/2018
 26/04/2018
 27/04/2018
 28/04/2018
 29/04/2018
 30/04/2018
 31/04/2018
 01/05/2018
 02/05/2018
 03/05/2018
 04/05/2018
 05/05/2018
 06/05/2018
 07/05/2018
 08/05/2018
 09/05/2018
 10/05/2018
 11/05/2018
 12/05/2018
 13/05/2018
 14/05/2018
 15/05/2018
 16/05/2018
 17/05/2018
 18/05/2018
 19/05/2018
 20/05/2018
 21/05/2018
 22/05/2018
 23/05/2018
 24/05/2018
 25/05/2018
 26/05/2018
 27/05/2018
 28/05/2018
 29/05/2018
 30/05/2018
 31/05/2018
 01/06/2018
 02/06/2018
 03/06/2018
 04/06/2018
 05/06/2018
 06/06/2018
 07/06/2018
 08/06/2018
 09/06/2018
 10/06/2018
 11/06/2018
 12/06/2018
 13/06/2018
 14/06/2018
 15/06/2018
 16/06/2018
 17/06/2018
 18/06/2018
 19/06/2018
 20/06/2018
 21/06/2018
 22/06/2018
 23/06/2018
 24/06/2018
 25/06/2018
 26/06/2018
 27/06/2018
 28/06/2018
 29/06/2018
 30/06/2018
 31/06/2018
 01/07/2018
 02/07/2018
 03/07/2018
 04/07/2018
 05/07/2018
 06/07/2018
 07/07/2018
 08/07/2018
 09/07/2018
 10/07/2018
 11/07/2018
 12/07/2018
 13/07/2018
 14/07/2018
 15/07/2018
 16/07/2018
 17/07/2018
 18/07/2018
 19/07/2018
 20/07/2018
 21/07/2018
 22/07/2018
 23/07/2018
 24/07/2018
 25/07/2018
 26/07/2018
 27/07/2018
 28/07/2018
 29/07/2018
 30/07/2018
 31/07/2018
 01/08/2018
 02/08/2018
 03/08/2018
 04/08/2018
 05/08/2018
 06/08/2018
 07/08/2018
 08/08/2018
 09/08/2018
 10/08/2018
 11/08/2018
 12/08/2018
 13/08/2018
 14/08/2018
 15/08/2018
 16/08/2018
 17/08/2018
 18/08/2018
 19/08/2018
 20/08/2018
 21/08/2018
 22/08/2018
 23/08/2018
 24/08/2018
 25/08/2018
 26/08/2018
 27/08/2018
 28/08/2018
 29/08/2018
 30/08/2018
 31/08/2018
 01/09/2018
 02/09/2018
 03/09/2018
 04/09/2018
 05/09/2018
 06/09/2018
 07/09/2018
 08/09/2018
 09/09/2018
 10/09/2018
 11/09/2018
 12/09/2018
 13/09/2018
 14/09/2018
 15/09/2018
 16/09/2018
 17/09/2018
 18/09/2018
 19/09/2018
 20/09/2018
 21/09/2018
 22/09/2018
 23/09/2018
 24/09/2018
 25/09/2018
 26/09/2018
 27/09/2018
 28/09/2018
 29/09/2018
 30/09/2018
 31/09/2018
 01/10/2018
 02/10/2018
 03/10/2018
 04/10/2018
 05/10/2018
 06/10/2018
 07/10/2018
 08/10/2018
 09/10/2018
 10/10/2018
 11/10/2018
 12/10/2018
 13/10/2018
 14/10/2018
 15/10/2018
 16/10/2018
 17/10/2018
 18/10/2018
 19/10/2018
 20/10/2018
 21/10/2018
 22/10/2018
 23/10/2018
 24/10/2018
 25/10/2018
 26/10/2018
 27/10/2018
 28/10/2018
 29/10/2018
 30/10/2018
 31/10/2018
 01/11/2018
 02/11/2018
 03/11/2018
 04/11/2018
 05/11/2018
 06/11/2018
 07/11/2018
 08/11/2018
 09/11/2018
 10/11/2018
 11/11/2018
 12/11/2018
 13/11/2018
 14/11/2018
 15/11/2018
 16/11/2018
 17/11/2018
 18/11/2018
 19/11/2018
 20/11/2018
 21/11/2018
 22/11/2018
 23/11/2018
 24/11/2018
 25/11/2018
 26/11/2018
 27/11/2018
 28/11/2018
 29/11/2018
 30/11/2018
 31/11/2018
 01/12/2018
 02/12/2018
 03/12/2018
 04/12/2018
 05/12/2018
 06/12/2018
 07/12/2018
 08/12/2018
 09/12/2018
 10/12/2018
 11/12/2018
 12/12/2018
 13/12/2018
 14/12/2018
 15/12/2018
 16/12/2018
 17/12/2018
 18/12/2018
 19/12/2018
 20/12/2018
 21/12/2018
 22/12/2018
 23/12/2018
 24/12/2018
 25/12/2018
 26/12/2018
 27/12/2018
 28/12/2018
 29/12/2018
 30/12/2018
 31/12/2018

सत्य प्रतिलिपि

प्रकाश प्रबन्धक/अध्यक्ष
 सामाजिक विकास परिषद
 फार्म सी.एस.डी.ए. तथा विटर्स, मेरठ।

02-2-17

सदस्य के प्रकार का नाम	नियमावली की धारा-संख्या	सदस्यता की धारासंधि	प्रति-वर्ष के लिए प्रबन्धकारिणी में निर्धारित संख्या
1. संरक्षक-सदस्य	धारा 5 (ख) 1	पदेन	01
2. संस्थापक-सदस्य (आजीवन)	धारा 5 (ख) 2	रु. 5,00,000	01
3. अग्रतम-सदस्य (आजीवन)	धारा 5 (ख) 3	रु. 1,00,000/-	03
4. आजीवन-सदस्य	धारा 5 (ख) 4	रु. 50,000/-	02
5. बृहद आजीवन सदस्य	धारा 5 (ख) 5	रु. 30,000/-	01
6. सम्भारण सदस्य (पंच वर्ष की अवधि की)	धारा 5 (ख) 6	रु. 10,000/-	02
7. मातृ-संस्था सदस्य	धारा 5 (ख) 7	नामित-पदेन	02
		कुल सदस्य सं०	12

9(ख) बैठकें - प्रबन्धकारिणी समिति की नियमित बैठकें वर्ष में छार होंगी तथा विशेष बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती हैं। सूचना किसी भी माध्यम से दी जा सकती है।

9(ग) सूचना अवधि - प्रबन्धकारिणी समिति की नियमित बैठकों की सूचना पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सात दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना पदाधिकारियों व सदस्यों को 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी। सूचना किसी भी माध्यम से दी जावेगी।

9(घ) गणपूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति के गणपूर्ति के लिए मूल बारह सदस्यों में से आठ (यानी 2/3) की उपस्थिति का कोरम होगा। स्थगित बैठक के लिए कोरम की कोई आवश्यकता न होगी। स्थगित बैठक में विधायकीय विषय वही रहते हैं।

9(ङ) सम्मानित सदस्यों को नामित करना - प्रबन्धकारिणी समिति एक विश्वविद्यालय विद्वान तथा दूसरा शाोध-विज्ञानी को अपनी प्रथम बैठक में नामित करेगी। दोनों ही सम्मानित सदस्य संस्था के उद्देश्यों में महत्वपूर्ण सहयोग करने में प्रतिबद्ध रहेंगे। यदि विश्वविद्यालय द्वारा नामित किये जाते हैं तो उन्हें बैठक में अनुमोदित किया जायेगा।

9(च) रिक्त स्थानों की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त होता है तो रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से उसी वर्ष के शेष कार्यकाल के लिए कर ली जायेगी।

9(छ) कार्यकाल - प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल कार्यग्रहण करने की दिनांक से पांच वर्ष होगा। किसी विशेष परिस्थिति में प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत के निर्णय से छ. माह के लिये कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

गिरान अमी
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]




सत्य प्रतिलिपि

प्रबन्धकारिणी समिति
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

02-2-17

- 9 (ज) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य-
- (i) प्रबन्धकारिणी समिति गठन हो जाने के बाद संस्था के सभी अधिकार एवं शक्ति प्रबन्धकारिणी समिति में निहित हो जायेगी तथा प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के नियमों के अनुसार कार्य करने का स्वतंत्र होगी।
 - (ii) संस्था की आय-व्यय के लिये योजना बनाना तथा अगले वर्ष में संस्था की आय वृद्धि के मार्ग प्रशस्त करना।
 - (iii) संस्था का वार्षिक आय-व्यय लेखा ऑडिट कराना व पारित करना तथा वित्त समिति से सन्तुति अगले वर्ष का बजट पारित करना। लेखा व बजट को साधारण-सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करना।
 - (iv) साधारण सभा द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्वों को पूरा करना। साधारण सभा के प्रति प्रबन्धकारिणी उत्तरदायी रहेगी।
 - (v) संस्था के धन और चल व अचल सम्पत्ति की संरक्षा, सम्बर्धन और संचालन करना बैंक / डाकघर में खाते खोलने का प्रस्ताव पारित करना।
 - (vi) संस्था के हितार्थ और आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए चल और अचल सम्पत्ति क्रय करने के लिए प्रबन्धकारिणी समिति पूर्णरूपेण अधिकृत रहेगी।
 - (vii) संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन 2/3 बहुमत से पारित कर अन्तिम स्वीकृति के लिए साधारण-सभा को सन्तुति करना।
 - (viii) संस्था के अन्तर्गत पद-रूज, कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन दण्डित करना, निष्कासन (सेवा समाप्ति), पेंशन वृद्धि आदि कार्य मन्त्री / प्रबन्धक की सन्तुति पर करना।
 - (ix) संस्था के विकास हेतु केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, भागारिकों अथवा किसी भी संस्थान, अभिकरण या व्यक्ति से उपहार, धन्य अर्पण या ऋण प्राप्त कर विभिन्न विकास योजनाओं के लिए धन जुटाना।
 - (x) अस्था / प्रबन्धक को सिफारस पर छात्रवास व अन्य शुल्क निर्धारित करना, सम्परीक्षण के लिए बॉर्डर-एकान्टेंट नियुक्त करना, प्रबन्धकारिणी समिति के लिए दो प्रमाणित सदस्य नामित करना, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करना और निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा करना।
 - (xi) अन्य सभी कार्य करना जो संस्था की उन्नति व विवास में सहयोगी हों।
- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य-
- अध्यक्ष :
- (i) संस्था की साधारण-सभा, प्रबन्धकारिणी समिति अन्य बैठकों एवं सभाओं की अध्यक्षता करना। बैठकों में अनुशासन व मर्यादा बनाये रखने के लिए सभी उपाय करना।
 - (ii) आवश्यकता पड़ने पर नियमों तथा उप-नियमों की व्याख्या करना, जो कि अन्तिम निर्णायक मानी जावेगी।

वि.स.स.सि.सि.
 विजयकुमार
 सचिव
 नरेशकुमार
 सचिव
 10/05/2017
 10/05/2017
 राजदेव
 प्रधान
 10/05/2017
 सुनील चन्द अर्मा
 सचिव
 10/05/2017



सत्य प्रतिलिपि

आय / व्यय / वार्षिक
 कार्यवाही के लिए
 फर्स सेवक/सी.एस.ओ. विभाग, मेरठ।
 02-2-17

(Handwritten signature)

- (iii) संस्था की बैठक में किसी विषय पर सामान्य मत आने पर अपना एक निर्णायक मत देना।
- (iv) संस्था के उद्देश्यों एवं नियमों-विनियमों का क्या स्थिति परिपालन होता रहे दायित्व निर्वाह करना।
- (v) विशेष बैठक आयोजित करने के मौन-प्रार्थना-पत्र पर गम्भीरता से विचार करना और निर्णय लेकर उसे क्रियान्वयन करना। मौन करने वाली की राख्या साधारण-सभा का 1/3 व प्रबन्धकारिणी समिति का 1/2 होनी चाहिए।
- (vi) प्रबन्धकारिणी समिति के मंत्री / प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत आपातकालीन प्रस्तावों पर गम्भीरता से विचार कर उन पर विधि सम्मत सकारात्मक अथवा नाकारात्मक सहमति देना।
- 10 (ख) उपाध्यक्ष:- सामान्य स्थिति में अध्यक्ष का पूरा सहयोग करना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा अनुपलब्धता में अध्यक्ष के सभी कार्य करना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जब घयन-समिति की अध्यक्षता करेंगे, तो उन्हें नामित माना जावेगा।
- 10 (ग) मंत्री / प्रबन्धक :-
- (i) साधारण सभा व प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रारित प्रस्तावों का क्रियान्वयन करना।
- (ii) सभी प्रकार की बैठकों का लिखित अभिलेख तैयार करना और अपनी संरक्षता में रखना।
- (iii) संस्था में धन प्राप्ति और धन-व्यय के पूर्ण और सही लेखा का रोकथाम वही व अन्य लेखा पुस्तकों में दर्ज करवाना और नियमानुसार खातों का संचालन करना। साथ ही खातों का ऑडिट करवाना।
- (iv) संस्था की अचल सम्पत्ति का विवरण रजिस्टर में दर्ज करवाना व उसके अभिलेख अपनी संरक्षता में रखना।
- (v) संस्था की चल सम्पत्ति स्टॉक रजिस्ट्रों में दर्ज करवाना और सम्बन्धित कर्मचारी की संरक्षता में रख-रखाव के लिए देना। कर्मचारी स्टॉक-दर्ज सामान के लिए उत्तरदायी होगा।
- (vi) साधारण सभा, प्रबन्धकारिणी समिति, वित्त समिति तथा समग्र-समग्र पर बनाई गयी उप-समितियों का संयोजन व संचालन करना।
- (vii) प्रबन्धकारिणी समिति की सहमति होने पर नियुक्ति-पत्रों, निलम्बन आदेशों, निष्कासन आदेशों इत्यादि को अपने हस्ताक्षरों से निर्गत करना। वेतन-भत्ता का भुगतान, अवकाश (आकरिमिक अवकाश छोड़कर) स्वीकृति स्व-अधिकार से करेंगे।
- (viii) अध्यक्ष के निर्देश पर नियमावली में निर्धारित समयों पर अथवा अन्य आवश्यकतानुसार बैठकें बुलाना, एजेण्डा प्रसारित कर उनका आयोजन करना।

स्वयं प्रतिलिपि

प्रधान अवरुक्त / अवरुक्त

आचार्य विद्यापीठ, सिकन्दर:

फ़ोन: 222-2-17

02-2-17

विद्यापीठ
 आचार्य
 सिकन्दर
 फ़ोन: 222-2-17
 02-2-17

- (ix) संस्था के कार्य सम्पादन के लिए एकल हस्ताक्षरों से मन्त्री/प्रबन्धक रु० 50,000/- तक का भुगतान अथवा व्यय करने के लिए अधिकृत है। इससे अधिक का भुगतान वित्त प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। परन्तु न्यूनतम भुगतान के लिए वे प्राचार्य/निदेशक को शरतुति पर पूर्ण अधिकृत होंगे।
- (x) प्रबन्धकारिणी समिति की ओर से इकरारनामों एवं दरतावेजों, जिनके द्वारा संस्था की सम्पत्ति का लेना और हस्तांतरण सामान व सामग्री लेना, कार्य-पुर्णता प्रमाणित करना-पर हस्ताक्षर करना तथा कानूनी कार्यवाही और पक्ष-विपक्ष के मुकदमों में प्रतिनिधित्व करना, वादों में समझौता करना या वादों का पैदाव के लिए समझौता करना या वाद का बापस करना भी सम्मिलित हैं। संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही मन्त्री/प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।
- (xi) संस्था के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में निर्धारित सभी दायित्वों का निर्वहन करना तथा वे अन्य सभी कार्य करना जो समिति के लक्ष्य व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे जायें।
- (xii) संस्था के समस्त वित्तों के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करना।

10(घ)

सहमन्त्री/उप-प्रबन्धक :-

सामान्य स्थिति में मन्त्री/प्रबन्धक का पूर्ण सहयोग करना तथा मन्त्री/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

10(ङ)

वित्त प्रबन्धक

मन्त्री/प्रबन्धक के साथ ~~संस्था~~ के बैंक/ड्राकमर खाते का संयुक्त संचालन करना।

संस्था के नियमानुसार लेखा-लेजर, केशयुक्त के संचालन तथा रसीद पुक आदि का सख्खण वित्त प्रबन्धक के उत्तर दायित्व में रहेगा।

भवन निर्माण मन्त्री:

विद्यापीठ भवन का आवश्यकतानुसार नक्शा प्राप्त करना, उसका निर्माण कराना, निर्माण हेतु टेकेंदार निश्चित करना, भवन निर्माण सामग्री क्रय करना तथा सम्पूर्ण देख-रेख करना आदि जिसकी पूर्व-अनुमोदन व स्वीकृति प्रबन्धकारिणी समिति प्राप्त करना।

विशेष - प्रबन्धकारिणी समिति किसी भी पदाधिकारी या सदस्य को कोई भी संस्था का कार्य अथवा दायित्व सौंपन को अधिकृत है, उसका निर्वहन करना अनिवार्य होगा।

संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

नियमों-विनियमों के संशोधन, परिवर्धन या परिवर्तन के प्रस्तावों पर प्रबन्धकारिणी समिति विचार कर 2/3 बहुमत से पारित करेगी एवं साधारण सभा के लिये संशुति करेगी। इस संशोधन आदि के लिए

जि. राम राज
 10(घ)
 10(ङ)
 10(च)
 10(ड)
 10(इ)
 10(ए)
 10(फ)
 10(ग)
 10(घ)
 10(ङ)

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रबन्धक/उप-प्रबन्धक
 कार्यालय शिक्षा विभाग
 मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, मेरठ।
 02-2-17

साधारण सभा की विशेष बैठक बुलाई जायेगी। साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संशोधन आदि मान्य होगा।

12. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष संस्था के नाम से किसी भी राष्ट्रीय बैंक या डाकघर में रखा जायेगा, जिसका संचालन संस्था के वित्त प्रबन्धक एवं मंत्री / प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। ₹ 50,000/- तक की राशि को उस संयुक्त खाते से निकालने के लिए मंत्री / प्रबन्धक अधिकृत रहेंगे। इससे अधिक की धनराशि संयुक्त हस्ताक्षरों से निकाली जायेगी। परन्तु वेतन भुगतान के लिए मंत्री / प्रबन्धक प्राचार्य / निदेशक की संस्तुति पर, पूर्ण अधिकृत होंगे।

13. आय-व्यय लेखा परीक्षण :-

प्रबन्ध समिति द्वारा नामित सी०ए० के द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष आडिट रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी समिति एवं साधारण सभा की बैठक में विद्यारार्थ व स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जायेगी।

14. संस्था के अभिलेख :-

मूल रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, आदि जो भी आवश्यक होंगे, मंत्री / प्रबन्धक की संस्था में रखे जायेंगे। आवश्यकतानुसार प्राचार्य को दायित्व सौंपा जा सकता है।

15. विघटन

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।

दिनांक: 30.8.2011

सि. प्रबन्धक

(Signature)

विजयपुर

संस्था

महेश्वर

रजिस्ट्रार

संस्था

रजिस्ट्रार

संस्था

रजिस्ट्रार

संस्था

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फार्म सोसाइटीज तथा विद्वान्

(Signature)

02-2-17

मुनिश-चन्द्र शर्मा

प्राचार्य

(Signature)

सत्य प्रतिलिपि

(Signature)